

अध्याय-4

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा नागरिकों को उनके प्राधिकरण से सम्बंधित कार्य के निष्पादन हेतु नागरिकों का समयबद्ध सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्तमान में 23 ऑफ लाईन एवं ऑन लाईन सेवाएँ नागरिक सेवा केन्द्र के माध्यम से तथा 3 सेवाएँ राज्य सरकार के पोर्टल पर सीधे ही ऑन लाईन निष्पादित की जा रही है। नागरिक सेवा केन्द्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

जयपुर विकास प्राधिकरण मुख्यालय भवन के नागरिक सेवा केन्द्र व चित्रकूट एवं मानसरोवर स्थित एक्सटेंशन काउन्टर्स पर ऑफ लाईन (Off line) उपलब्ध सेवा:-

क्र.स.	नागरिक सेवा केन्द्र का सेवा क्रमांक	राजस्थान लोक सेवा गारन्टी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत उपलब्ध सेवा	सेवा का नाम
1.	सीसीसी-3	उपलब्ध	दस्तावेज/मानचित्र की प्रति प्राप्त करना
2.	सीसीसी-5		भवन निर्माण स्वीकृति (250 वर्ग मीटर तक के संबंध में)
3.	सीसीसी-6		ट्री गार्ड्स प्राप्त करने हेतु
4.	सीसीसी-9		भू-उपयोग उपान्तरण (Change of land use) आवासीय से वाणिज्यिक
5.	सीसीसी-11		भू- उपयोग उपान्तरण कृषि प्रयोजनार्थ
6.	सीसीसी-13	उपलब्ध	योजना मानचित्र अनुमोदन
7.	सीसीसी-14		संस्थागत आवंटन
8.	सीसीसी-16		रियल स्टेट विकासकर्ता का पंजीयन (राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत 10 हैक्टेयर से अधिक भूमि)
9.	सीसीसी-17	उपलब्ध	अमानत राशि का भुगतान
10.	सीसीसी-18	उपलब्ध	धरोहर राशि का भुगतान
11.	सीसीसी-20	उपलब्ध	कब्जा पत्र
12.	सीसीसी-21	उपलब्ध	विक्रय अनुमति
13.	सीसीसी-22	उपलब्ध	ले-आउट अनुमोदन पश्चात पट्टा जारी करना (कृषि से सम्बंधित)
14.	सीसीसी-23	उपलब्ध	कच्ची बस्ती नियमन उपरान्त पट्टे जारी करना
15.	सीसीसी-24	उपलब्ध	अनापत्ति प्रमाण पत्र
16.	सीसीसी-25		अफोर्डबल हाउसिंग के लिये टीडीआर सर्टिफिकेट
17.	सीसीसी-26		नॉन अफोर्डबल हाउसिंग के लिये टीडीआर सर्टिफिकेट
18.	सीसीसी-27		टीडीआर सर्टिफिकेट का हस्तांतरण एवं उपयोगिता
19.	सीसीसी-28		भूमि समर्पित सैक्टर रोड/मास्टर प्लान रोड/अन्य

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा निम्नलिखित सेवाएं प्राधिकरण की वेबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर ऑन लाईन उपलब्ध है। इन सेवाओं के लिए आवेदक स्वयं के स्तर पर ऑन लाईन आवेदन कर सकता है एवं मूल दस्तावेजों के मिलान बाबत नागरिक सेवा केन्द्र में कार्यरत सलाहकारों से सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही करवा सकेगा।

क्र. सं.	नगरिक सेवा केन्द्र का सेवा क्रमांक	राजस्थान लोक सेवा गारण्टी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत उपलब्ध सेवा	सेवा का नाम
1.	सीसीसी-1	उपलब्ध	नाम हस्तान्तरण पत्र
2.	सीसीसी-2	उपलब्ध	भूखण्ड का उप-विभाजन/पुनर्गठन
3.	सीसीसी-8	उपलब्ध	भूखण्ड नियमन एवं पट्टा विलेख जारी करना।
4.	सीसीसी-4	उपलब्ध	लीज मुक्ति प्रमाण पत्र

निम्न सेवाएं राज्य सरकार के सेवा पोर्टल पर सीधे ही ऑन लाईन उपलब्ध है, जिसकी वेबसाईट <https://sso.rajasthan.gov.in> पर आवेदक स्वयं के स्तर पर आवेदन कर सकता है:-

क्र. सं.	नगरिक सेवा केन्द्र का सेवा क्रमांक	राजस्थान लोक सेवा गारण्टी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत उपलब्ध सेवा	सेवा का नाम
1.	सीसीसी-19	उपलब्ध	राजस्थान भूमि राजस्व एक्ट 1956 सैक्शन 90ए
2.	सीसीसी-07	उपलब्ध	सामुदायिक केन्द्र आरक्षित/रदद
3.	सीसीसी-15	उपलब्ध	भवन मानचित्र अनुमोदन (500) वर्ग मीटर से अधिक सभी प्रकार के आवासीय, व्यवसायिक/संस्थानिक भवनों के लिये)